

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक.457 दिनांक. 22/3/2012

गत सभा दिनांक 28/2/2012 के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-कौंसिल
नगर पालिक निगम,इंदौर

क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपी:-

- 1- आयुक्त
- 2- रेसीडेन्ट आडिट
- 3- सूचना एवं प्रोद्योगिकी अधिकारी,न.पा.नि. इंदौर
- 4- लोक सूचना अधिकारी,न.पा.नि. इंदौर
की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इंदौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 458 दिनांक 22-03-2012

शासकीय शालाओं में मध्याह्न भोजन व्यवस्था हेतु वित्त वर्ष 2011-12 के लिए पुनर्विनियोग करने के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 7546 दिनांक 22-03-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में वित्त वर्ष 2011-12 के (माह नवम्बर 2011 से मार्च 2012 तक) के देयक भुगतान के दृष्टिगत हुए विभागीय बजट मदों में प्रावधानित राशि में से राशि का निम्नानुसार पुनर्विनियोग निम्नांकित मदनाम (कॉलम 3 अनुसार) में से राशि (कॉलम 5 अनुसार) कम कर मदनाम (कॉलम 7 अनुसार) में राशि (कॉलम नं.8 अनुसार) पुनर्विनियोग कर अन्तरित करने की स्वीकृति दी जाती है:-

(राशि करोड़ों में)

अनु.क्र.	मद जिसमें से राशि पुनर्विनियोग कर कम की जाना है				मद जिसमें से राशि पुनर्विनियोग कर वृद्धि की जाना है		
	बजट कोड नं.	बजट का मदनाम	बजट प्रावधानित एवं शेष राशि	कम की जाने वाली राशि	बजट कोड नं.	बजट का मदनाम	वृद्धि की जाने वाली राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2101021	अस्थायी श्रमिकों का पारिश्रमिक मद	18 करोड़	1.50 करोड़	2501002	शासकीय शालाओं में मध्याह्न भोजन पर व्यय	1.50 करोड़
			कुल योग	1.50 करोड़			1.50 करोड़

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 27.3.12

क्रमांक 1883-86

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिटर
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 459 दिनांक 22-03-2012

जलयंत्रालय एवं ड्रेनेज विभाग के बजट मदों में पुनर्विनियोग कराने के संबंध में आयुक्त 2950 दिनांक 13-03-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में वित्तीय वर्ष 2011-12 के विभागीय बजट मदों में प्रावधानित राशि अनुसार कार्य प्रस्तावित किये गये होकर स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं। बजट प्रावधान के अतिरिक्त झोनल कार्यालयों से वार्ड में कार्य कराने के लिए अतिरिक्त मदवार प्रस्ताव प्राप्त हुये है जिसके लिए राशि की आवश्यकता होने से मदनाम (कॉलम 3 अनुसार) में से राशि (कॉलम 5 अनुसार) कम कर मदनाम (कॉलम 7 अनुसार) में राशि पुनर्विनियोग कर अन्तरित करने की स्वीकृति दी जाती है:-

(राशि लाखों में)

अनु.क्र.	मद जिसमें से राशि पुनर्विनियोग कर कम की जाना है				मद जिसमें से राशि पुनर्विनियोग कर वृद्धि की जाना है		
	बजट कोड नं.	बजट का मदनाम	प्रावधानित राशि	कम की जाने वाली राशि	बजट कोड नं.	बजट का मदनाम	वृद्धि की जाने वाली राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4108011	यशवंत सागर बांध पर बाउण्ड्रीवाल एवं रेस्ट हाऊस निर्माण एवं व्यय	150	50	2301015	यशवंत सागर देवधरम पर विद्युत व्यय	50
2	4103221	स्लम एरिये में ट्यूबवेल खनन एवं मोटर पंप स्थापना करना	200	100	2301011	ट्यूबवेल पर विद्युत व्यय	100
3	4103221	स्लम एरिये में ट्यूबवेल खनन एवं मोटर पंप स्थापना करना	200	99	4103106	नई सीवर लाईन डालना (स्लम एरिया)	99
4	4103280	खजराना/बिला वली/लिम्बोदी तालाब का जिर्णोद्धार	300	299	4103103	नई सीवर लाईन डालना	299

5	4103253	तालाबों का गहरीकरण करना	100	99	4103103	नई सीवर लाईन डालना	99
6	4103018	कलमेर नाव घाट पुल निर्माण करना	275	274	4103103	नई सीवर लाईन डालना	274
7	4107010	पानी के टैंकों पर जी.पी.एस. सिस्टम लगाना	20	19.99	4103103	नई सीवर लाईन डालना	19.99

जानकारी हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 27.3.12

क्रमांक 1879-82

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 460 दिनांक 22-03-2012

मद में पुनर्विनियोग करने के संबंध में आयुक्त के पत्र दिनांक 22-03-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में स्वास्थ्य विभाग के वाहनों के बीमा/रजिस्ट्रेशन नवीनकरण का कार्य प्रतिवर्ष किया जाता है, परन्तु चालू वित्तीय में वर्कशॉप के मद क्रमांक "2204002" में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं से तथा बीमा/रजिस्ट्रेशन नवीनकरण कार्य किये जाने को दृष्टिगत हुए विभागीय बजट मदों में प्रावधानित राशि में से राशि का निम्नानुसार पुनर्विनियोग निम्नांकित मदनाम (कॉलम 3 अनुसार) में से राशि (कॉलम 5 अनुसार) कम कर मदनाम (कॉलम 7 अनुसार) में राशि (कॉलम नं.8 अनुसार) पुनर्विनियोग कर अन्तरित करने की स्वीकृति दी जाती है:-

(राशि लाखों में)

अनु. क्र.	मद जिसमें से राशि पुनर्विनियोग कर कम की जाना है				मद जिसमें से राशि पुनर्विनियोग कर वृद्धि की जाना है		
	बजट कोड नं.	बजट का मदनाम	बजट प्रावधानित एवं शेष राशि	कम की जाने वाली राशि	बजट कोड नं.	बजट का मदनाम	वृद्धि की जाने वाली राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2208536	आकस्मिक बीमारियों की रोकथाम	10.00	9.00	2204002	वाहनों के बीमा/रजिस्ट्रेशन कार्य	9.00
			कुल योग	9.00			9.00

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल

नगर पालिक निगम,इन्दौर

दिनांक 27.3.12

क्रमांक 1871-74

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त।
 2. रेसीडेन्ट आडिटर।
 3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
 4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
- की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 461 दिनांक 22-03-2012

मद में पुनर्विनियोग करने के संबंध में आयुक्त के पत्र क्र. 4636 दिनांक 22-03-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में स्वास्थ्य विभाग के मौसमी कार्य हेतु अतिरिक्त रूप से रखे गये मस्टर श्रमिकों को पारिश्रमिक भुगतान किये जाने को दृष्टिगत हुए विभागीय बजट मदों में प्रावधानित राशि में से राशि का निम्नानुसार पुनर्विनियोग निम्नांकित मदनाम (कॉलम 3 अनुसार) में से राशि (कॉलम 5 अनुसार) कम कर मदनाम (कॉलम 7 अनुसार) में राशि (कॉलम नं.8 अनुसार) पुनर्विनियोग कर अन्तरित करने की स्वीकृति दी जाती है:-

(राशि लाखों में)

अनु.क्र.	मद जिसमें से राशि पुनर्विनियोग कर कम की जाना है				मद जिसमें से राशि पुनर्विनियोग कर वृद्धि की जाना है		
	बजट कोड नं.	बजट का मदनाम	बजट प्रावधानित एवं शेष राशि	कम की जाने वाली राशि	बजट कोड नं.	बजट का मदनाम	वृद्धि की जाने वाली राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	210102 1	अस्थाई श्रमिकों का पारिश्रमिक पर व्यय	1500	100 लाख	21010 22	मौसमी एवं आवश्यक कार्य	100 लाख
			कुल योग	100 लाख			100 लाख

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह) कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर इन कौंसिल

नगर पालिक निगम, इन्दौर

दिनांक 27.3.12

क्रमांक 1875-78

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं-1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव

नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 462 दिनांक 22-03-2012

मुक्तिधाम रामबाग के डीजल शवदाह गृह को संचालन एवं रखरखाव के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 133/सी.ई/11-12 दिनांक 01-03-12 पर समिति आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग की राय क्र. 39 दिनांक 13-03-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में पूर्व पारित मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1096 दिनांक 23-07-07 द्वारा आगामी आदेश तक की दी गई स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिये मुक्तिधाम रामबाग के डीजल शवदाह गृह के संचालन एवं रख-रखाव के कार्य यथावत करने की स्वीकृति मेसर्स चिरंतन सर्विसेस-ठाणे (मुम्बई) से दिनांक 01-04-2011 से 31-03-2012 तक कार्य कराने की पुष्टि की जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 27.3.12

क्रमांक 1887-90

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं-1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 463 दिनांक 22-03-2012

शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान देने के संबंध में आवेदक श्रीमती मंजु दिघे पति श्री रजनीश दिघे पता-१७/१ जयभवानी नगर इंदौर के आवेदन-पत्र एवं महापौर महोदय की अनुशंसा पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आवेदक को रुपये 1500/- (एक हजार पाँच सौ रुपये मात्र) की आर्थिक सहायता/अनुदान बजट मद क्रमांक. 2208010 “ आर्थिक सहायता/अनुदान पर व्यय “ में से देने की स्वीकृति म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बने म.प्र. नगर पालिक निगम(मेयर-इन कौंसिल/प्रेसिडेंट इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य)नियम 1998 के नियम 5(चार) अनुसार निगम परिषद् प्रस्ताव क्रमांक 79 दिनांक 21-8-2001 द्वारा प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत दी जाती है। सहायता राशि का चेक श्री एच.के.किड्स वर्ल्ड एकेडमी के नाम से जारी किया जावे।

आयुक्त/सचिव नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
नगर पालिक निगम, इंदौर
दिनांक. २६.३.१२

क्रमांक १८६१-६२

प्रतिलिपी:-

1- आयुक्त

2- रेसीडेन्ट आडिट

की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इंदौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 464 दिनांक 22-03-2012

शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान देने के संबंध में आवेदक श्री सीताराम पिता शंकर मालवीय पता-४८६, कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर के आवेदन-पत्र एवं महापौर महोदय की अनुशंसा पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आवेदक को रूपये 2000/- (दो हजार रूपये मात्र) की आर्थिक सहायता/अनुदान बजट मद क्रमांक. 2208010 “ आर्थिक सहायता/अनुदान पर व्यय “ में से देने की स्वीकृति म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बने म.प्र. नगर पालिक निगम(मेयर-इन कौंसिल/प्रेसिडेंट इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य)नियम 1998 के नियम 5(चार) अनुसार निगम परिषद् प्रस्ताव क्रमांक 79 दिनांक 21-8-2001 द्वारा प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत दी जाती है। सहायता राशि का चेक नवीन विद्या निकेतन, इन्दौर के नाम से जारी किया जावे।

आयुक्त/सचिव नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
नगर पालिक निगम, इंदौर
दिनांक. २६.३.१२

क्रमांक १८६३-६४

प्रतिलिपी:-

1- आयुक्त

2- रेसीडेन्ट आडिट

की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इंदौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 464 दिनांक 22-03-2012

शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान देने के संबंध में आवेदक श्री मनोज पिता अजुर्नदास चुग पता-३१७-बी प्रजापत नगर इंदौर के आवेदन-पत्र एवं महापौर महोदय की अनुशंसा पर विचार किया गया।

2.विचारोपरान्त आवेदक को रूपये 1500/- (एक हजार पाँच सौ रूपये मात्र)की आर्थिक सहायता/अनुदान बजट मद क्रमांक. 2208010 “ आर्थिक सहायता/अनुदान पर व्यय“ में से देने की स्वीकृति म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बने म.प्र. नगर पालिक निगम(मेयर-इन कौंसिल/प्रेसिडेंट इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य)नियम 1998 के नियम 5(चार) अनुसार निगम परिषद् प्रस्ताव क्रमांक 79 दिनांक 21-8-2001 द्वारा प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत दी जाती है। सहायता राशि का चेक “स्वामी विवेकानंद कान्वेंट स्कूल“ के नाम से जारी किया जावे।

आयुक्त/सचिव नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
नगर पालिक निगम, इंदौर
दिनांक. २६.३.१२

क्रमांक १८६३-६४

प्रतिलिपी:-

- 1- आयुक्त
 - 2- रेसीडेन्ट आडिटर
- की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इंदौर

मालवा उत्सव 2011 के आयोजन में अनुदान देने के संबंध में लोक संस्कृति मंच का पत्र क्रमांक 378/संस्कृति/11 दिनांक 12-03-12 पर विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्त लोक संस्कृति मंच के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं चर्चा के प्रकाश में इन्दौर शहर में प्रतिवर्षानुसार होने वाले लोक संस्कृति मंच द्वारा प्रतिष्ठित समारोह मालवा उत्सव 2011 के आयोजन हेतु अनुदान राशि रूपये 3 लाख (अक्षरी राशि रूपये तीन लाख मात्र) देने की कार्योत्तर स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय बजट मद "लोक संस्कृति मालवा उत्सव हेतु व्यय" में से होगा।

प्रकरण पुष्टि हेतु निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।
आयुक्त /सचिव नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 31.3.12

क्रमांक 1913-16

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिटर
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 467 दिनांक 22-03-2012

इन्दौर नगर पालिक निगम मस्टर कर्मचारियों के पांचवे स्नेह सम्मेलन हेतु अनुदान देने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1971 दिनांक 06-03-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त प्रतिवर्षानुसार इन्दौर नगर पालिक निगम मस्टर कर्मचारियों के पांचवे स्नेह सम्मेलन आयोजन हेतु राशि रूपये 25,000/-का देने की स्वीकृति निगम स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है, इसका व्यय बजट मद कर्मचारी कल्याण मद में से होगा।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 31.3.12

क्रमांक 1901-04

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 468 दिनांक 22-03-2012

31 वें (पॉच दिवसीय) निगम कर्मचारी स्नेह सम्मेलन के आयोजन के लिये सहायता राशि उपलब्ध करवाने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1710 दिनांक 10-01-12 पर प्रभारी विधि तथा सामान्य प्रशासन विभाग की राय क्रमांक 2371 दिनांक 19-01-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त प्रतिवर्षानुसार 31 वें निगम कर्मचारी स्नेह सम्मेलन के लिए इन्दौर नगर पालिक निगम कर्मचारी महासंघ को सम्पन्न स्नेह सम्मेलन आयोजन हेतु राशि रूपये 25,000/-का देने की कार्योत्तर स्वीकृति निगम स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है, इसका व्यय बजट मद कर्मचारी कल्याण मद में से होगा।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 31.3.12

क्रमांक 1917-20

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं-1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 469 दिनांक 22-03-2012

नगर निगम पेंशनर्स एसोसिएशन इन्दौर के 75 वर्ष की आयु के सदस्यों का वर्ष 2012 में हो रहे सम्मान समारोह हेतु संस्था को आर्थिक सहायता प्रदान करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1712 दिनांक 11-01-2012 प प्रभारी विधि एवं सामान्य प्रशासन विभाग की राय पृ. क्रमांक 2369 दिनांक 19-1-12 पर विचार किया गया एवं चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाशा में प्रतिवर्षानुससार नगर निगम पेंशनर्स एसोसिएशन इन्दौर को 75 वर्ष की आयु के सदस्यों के सम्मान समारोह हेतु राशि रूपये 15,000/- का सहायता देने की कार्योत्तर स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 31.3.12

क्रमांक 1921-24

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 470 दिनांक 22-03-2012

नर्मदा योजना तृतीय चरण अंतर्गत नवनिर्मित वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, पम्प हाउस इत्यादि की सुरक्षा हेतु निजी सुरक्षाकर्मी की कान्ट्रैक्ट सेवाएँ उपलब्ध करवाने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 624 दिनांक 16-02-12 पर समिति जलकार्य विभाग की राय क्र. 80 दिनांक 28-02-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र व संक्षेपिका में दर्शाई गई स्थिति के प्रकाश में इन्टेकवेल, इलेक्ट्रिक सबस्टेशन, ट्रीटमेंट प्लांट, पम्पहाउस बी.एस-1 व बी.एस-2 तथा एक बेरीयर पर सुरक्षाकर्मी तथा एक गश्त वाहन के साथ 1 गनमेन व तीन सुरक्षाकर्मी की सेवाएँ लेने हेतु नियमानुसार निविदाएँ आमंत्रित करने की स्वीकृति दी जाती है। उक्त कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट में रु. 40 लाख का प्रावधान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 31.3.12

क्रमांक 1937-40

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिटर
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

जनभागीदारी योजना के अन्तर्गत स्वामी प्रीतमदास सभागृह के निर्माण के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 152/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 05-03-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र व संक्षेपिका में दर्शाई गई स्थिती के प्रकाश में स्वामी प्रीतमदास गोविन्द राम पारमार्थिक संस्थान 100/1 बी.के सिन्धी कालोनी इन्दौर द्वारा जनभागीदारी योजना के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले भवन का उपयोग, प्रबन्ध, रखरखाव एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं व संचालन के संबंध में अनुलग्न द्विपक्षीय अनुबंध का अनुमोदन किया जाता है। उक्त अनुबंध में सभागृह का स्वामित्व निगम का रहेगा, तथा संचालन समिति में सात सदस्य निगम के एवं छः सदस्य स्वामी प्रीतमदास गोविन्दराम परमार्थिक ट्रस्ट के होने व सभागृह का किराया समिति द्वारा निर्धारित किया जाने संबंधि शर्त को अनुबंध में सम्मिलित किया जावे। सभागृह का निर्माण निगम की देखरेख में किया जाना सुनिश्चित करें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 31.3.12

क्रमांक 1905-08

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं. (दो फाईल)
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 472 दिनांक 22-03-2012

शहरी अधोसंरचना विकास कार्यों का द्विवर्षीय एक्शन प्लॉन की सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 1559/एम.सी./2 दिनांक 09-03-12 पर विचार किया गया।

2. आयुक्त के पत्र में दर्शाई गई स्थिति के प्रकाश के क्रम में इन्दौर शहर के अधोसंरचना विकास के लिये अनेक योजनाएँ क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है इन योजनाओं का क्रियान्वयन शासन की मंशानुरूप वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में किया जाना है। निगम द्वारा शहरी क्षेत्र के अधोसंरचना एवं मूलभूत व्यवस्थाओं हेतु प्रस्तावित योजनाओं में संलग्न प्रत्रक अनुसार विभिन्न क्षेत्र की योजनाओं को क्रियान्वयन किया जाना है। शासन को अनुदान/सहायता हेतु प्रत्येक योजनाओं की विस्तृत डी.पी.आर. शीघ्र ही प्रेषित की जा रही है। जिससे की उल्लेखित योजनाओं में शासन की ओर से निगम को अनुदान प्राप्त हो सकें, की स्वीकृति चाही गई है।

3. विचारोपरान्त शहरी अधोसंरचना विकास कार्य हेतु द्विवर्षीय एक्शन प्लान में उल्लेखित योजनाओं की सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है। शासन से अनुदान/सहायता हेतु प्रत्येक योजनाओं की विस्तृत डी.पी.आर. भेजी जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 31.3.12

क्रमांक 1945-48

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 473 दिनांक 22-03-2011

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन में कार्यरत मस्टर कम्प्युटर ऑपरेटर की अवधि वृद्धि एवं उद्यान विभाग में कार्य करने की अनुमति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1388/एम.सी./12 दिनांक 04-02-2012 पर प्रभारी, विधि एवं सामान्य प्रशासन विभाग राय पृ.क्रमांक 2555, दिनांक 15-03-12 पर विचार किया गया।

विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति के एवं अनुशंसा के प्रकाश में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन में कार्यरत मस्टर कम्प्युटर ऑपरेटर के कार्य हेतु मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 565 दिनांक 30-03-2012 द्वारा दी स्वीकृति दी गई थी, उक्त स्वीकृति दिनांक 31-12-2011 को समाप्त होने से जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के स्थान पर श्री रविशंकर देवीकिशन व्यास को उद्यान विभाग में कम्प्यूटर ऑपरेटर के कार्य करने हेतु कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस की अवधि पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 जनवरी 2012 से 31 मार्च 2012 तक कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 1925-28

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

दिनांक 31.3.12

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 474 दिनांक 22-03-2012

नगर निगम सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न 13 स्थानों के पर मार्ग के मध्य लगे विद्युत पोल पर कि-ऑस्क विज्ञापन बोर्ड की आमंत्रित निविदा दिनांक 21-11-2011 को प्राप्त ऑफर के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 2291 दिनांक 20-01-12 पर समिति राजस्व विभाग की राय क्र. 153 दिनांक 06-03-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में अनुलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति के प्रकाश में 13 मार्गों पर सड़क के मध्य विद्युत पोल पर तीन वर्ष की अवधि के लिये कि-ऑस्क बोर्ड लगाने हेतु दिनांक 21-11-11 को प्राप्त निविदाओं में पूर्व में स्वीकृत ऑफर से अधिक ऑफर प्राप्त होने पर निम्नांकित चार स्थानों की उच्चतम निविदा ऑफरदाता की निविदा स्वीकृत की जाती है:-

1. गांधी प्रतिमा से तिलक प्रतिमा, एम.जी.रोड (कुल पोल संख्या 56) स्थान के लिये कुल 6 निविदायें प्राप्त हुई थी जिसमें उच्चतम ऑफरदाता एड. स्पेस पता- 218, सुखदेव झोन 1, एम.पी. नगर भोपाल की उच्चतम राशि रुपये 63,09,009/- (अक्षरी रुपये तिरेसठ लाख नौ हजार नौ मात्र) की स्वीकृति।

2. गांधी प्रतिमा से श्रीमाया होटल तक (कुल पोलस 21) स्थान के लिये कुल 5 निविदायें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से उच्चतम ऑफरदाता एड स्पेश, 218, सुखदेव झोन 1, एम.पी. नगर भोपाल की उच्चतम राशि 17,00,000/- (अक्षरी रुपये सतरह लाख मात्र) की स्वीकृति।

3. महु नाका से अन्नपूर्णा मंदिर तक (कुल पोलस 72) स्थान के लिये कुल 3 निविदायें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से उच्चतम ऑफरदाता एडवर्ल्ड, 301, नवनीत प्लाजा ओल्ड पलासिया इन्दौर की उच्चतम ऑफर राशि 7,09,000/- (अक्षरी रुपये सात लाख नौ हजार मात्र) की स्वीकृति।

4. कलेक्टर ऑफिस के सामने कर्बला पुल तक (कुल पोलस 25) स्थान के लिये कुल 2 निविदायें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से उच्चतम ऑफरदाता एडवर्ल्ड, 301, नवनीत प्लाजा ओल्ड पलासिया इन्दौर की उच्चतम राशि 3,71,700/- (अक्षरी रुपये तीन लाख इकोत्तर हजार सात सौ मात्र) की स्वीकृति।

3. उपरोक्त चार स्थानों के अतिरिक्त 2 स्थान राजकुमार ओवर ब्रिज तीन भुजाओ एवं टॉवर चौराहा से जूनी इन्दौर ब्रिज तक प्राप्त निविदाएँ पूर्व स्वीकृत ऑफर से कम होने से निरस्त की जाती है, शेष 9 स्थानों की पुनः निविदा आमंत्रित की जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 31.3.12

क्रमांक 1929-32

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 475 दिनांक 22-03-2012

माननीय श्रम न्यायालय अधिनिर्णय के परिपालन में यशवंत सागर पंपिंग स्टेशन एवं देवधरम फिल्टर स्टेशन पर संधारण कार्य हेतु पूर्व से कार्यरत अस्थायी श्रमिकों की समयावधि बढ़ाने के संबंध में आयुक्त पत्र क्र. 2673 दिनांक 01-02-12 पर प्रभारी विधि तथा सामान्य प्रशासन विभाग की राय क्रमांक 2554 दिनांक 15-03-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के अनुलग्न संक्षेपिका में उल्लेखित अनुसार दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में माननीय श्रम न्यायालय के अधिनिर्णय के परिपालन में यशवंत सागर पंपिंग स्टेशन एवं देवधरम फिल्टर पर संधारण कार्य हेतु पूर्व से कार्यरत 16 मस्टर अस्थायी श्रमिकों की समयावधि दिनांक 01-01-2012 से 31 मार्च 2012 तक की अवधि वृद्धि कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर करने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय बजट मद "अस्थाई श्रमिकों का पारिश्रमिक" में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त, नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 31.3.12

क्रमांक 1941-44

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं-1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

यशवंत सागर नवीन बाँध स्थल पर कार्य हेतु अस्थायी श्रमिक की समयावधि बढ़ाने हेतु के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 2674/दिनांक 01-02-2012 पर प्रभारी, विधि एवं सामान्य प्रशासन विभाग राय पृ.क्रमांक 2557, दिनांक 15-03-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में यशवंत सागर नवीन बांध पर कार्य हेतु मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 148 दिनांक 18-08-2011 द्वारा दी स्वीकृति के तारतम्य में श्रमिकों समयावधि समाप्त होने से अस्थाई श्रमिकों की आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिये जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर 12 श्रमिकों की नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01-01-2012 से 31 मार्च 2012 तक कार्य करने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय बजट मद क्रमांक 2305603 में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 31.3.12

क्रमांक 1933-36

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 477 दिनांक 22-03-2012

राष्ट्रीय इन्दिरागांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना/सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत झोनल अधिकारियों द्वारा स्वीकृत आवेदन पत्रों की सूची सूचनार्थ/ अवलोकनार्थ के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 2623/श.ग.उ.प्र./11-12 दिनांक 05-03-12 पर प्रभारी महिला तथा बाल कल्याण विभाग की राय पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में राष्ट्रीय इन्दिरागांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना/सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की झोनल अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन उपरान्त राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना/सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 1845 पात्र हितग्राहियों को पात्रतानुसार पेंशन भुगतान की स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 31.3.12

क्रमांक 1961-64

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं-1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 478 दिनांक 22-03-2012

शहर के प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लिंग रोड एवं एप्रोच रोड) निर्माण के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 1102 सी.ई/योजना दिनांक 13-03-12 पर समिति आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग की राय क्र. 45 दिनांक 20-03-12 पर विचार किया गया। मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्र. 337 दिनांक 10-11-10 एवं परिषद प्रस्ताव क्र. 26 दिनांक 04-05-11 का अवलोकन किया गया।

2. आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति के प्रकाश में शहर के प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लिंग रोड एवं एप्रोच रोड) निर्माण हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से दिनांक 22-11-11 को निविदा आमंत्रित की गई, निविदा में प्राप्त तकनीकी प्रस्ताव पर "टेक्निकल एडवाइजरी एवं मानीटरिंग कमेटी" की "उप समिति" सदस्यों के द्वारा मूल्यांकन किया गया। निविदा के प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित तीनों कम्पनियों द्वारा न्यूनतम तकनीकी योग्यता के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये होने से तथा अन्य अपेक्षित दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये, जिनका मूल्यांकन निम्नानुसार है:-

अ.क्र.	निविदा दाता एजेन्सी का नाम	प्राप्तांक	पात्र/अपात्र
1.	बी.आर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. इन्दौर	82	पात्र
2.	वालेचा इंजीनियरिंग लि. मुम्बई	92	पात्र
3.	सोम प्रोजेक्ट प्रा.लि. नई दिल्ली	85	पात्र

उक्त अनुसार निविदा प्रावधान अनुसार तकनीकी मूल्यांकन में 75 से अधिक अंक प्राप्त होने से तीनों एजेन्सीयों के वित्तीय प्रस्ताव खोले गए, जो की निम्नानुसार है:-

पैकेज-1

वालेचा इंजीनियरिंग लि. मुम्बई	रु. 69,74,34,322.00	एल-1
बी.आर. गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. इन्दौर	रु. 77,83,45,505.00	
मे. सोम प्रोजेक्ट प्रा.लि. नई दिल्ली	रु. 96,95,76,152.00	

पैकेज-2

वालेचा इंजीनियरिंग लि. मुम्बई	रु. 69,74,34,322.00	एल-1
बी.आर. गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. इन्दौर	रु. 77,83,45,505.00	
मे. सोम प्रोजेक्ट प्रा.लि. नई दिल्ली	रु. 94,78,80,449.00	

3. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में शहर के प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (रिंग राड एवं एप्रोच रोड) निर्माण हेतु पैकेज क्र. 1 एवं 2 के लिए न्यूनतम निविदादर दाता वालेचा इंजीनियरिंग लि. मुम्बई की न्यूनतम दर

पैकेज क्र. 1 के लिए 69,74,34,322/- (अक्षरी रुपये उन्नसत्तर करोड चोहोत्तर लाख चौतीस हजार तीन सौ बाईस मात्र) एवं पैकेज क्र. 2 के लिए रु. 69,74,34,322/- (अक्षरी रुपये उन्नसत्तर करोड चोहोत्तर लाख चौतीस हजार तीन सौ बाईस मात्र) की स्वीकृति निगम परिषद की प्रत्याशा में की जाती है।

4. कार्य निर्धारण मानक स्तर एवं गुणवत्तापूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे। नियमानुसार अनुबंध किया जावे।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 31.3.12

क्रमांक 1949-52

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 479 दिनांक 22-03-2012

जलवितरण हेतु प्रायवेट टैंकर/ट्रेक्टर वाहन किराये पर लेने के संबंध (वार्षिक दरों का निर्धारण हेतु) में आयुक्त के पत्र क्रमांक 2986 दिनांक 22-03-2012 पर विचार किया गया। मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 365 दिनांक 20-01-2012 का अवलोकन किया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु दिनांक 16-03-2012 को प्राप्त 08 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाताओं (कॉलम 2 में) की बिना जी.पी.एस. के निम्नांकित दर (कालम 4 में) की स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है :-

अनु क्र.	फर्म का नाम एवं पता	विवरण	प्राप्त न्यूनतम निविदादर
1	2	3	4
1	किंग कंस्ट्रक्शन, इन्दौर	1. वाटर टैंकर 25000 ली. क्षमता के 5 एच.पी.पंप सहित (डीजल सहित) प्रतिदिन प्रति टैंकर राशि 2. वाटर टैंकर 20000 ली. क्षमता के 5 एच.पी.पंप सहित (डीजल सहित) प्रतिदिन प्रति टैंकर राशि 3. वाटर टैंकर 12000 ली. क्षमता के 5 एच.पी.पंप सहित (डीजल सहित) प्रतिदिन प्रति टैंकर राशि 4. वाटर टैंकर 12000 ली. क्षमता के 4 टोटी सहित (डीजल सहित) प्रतिदिन प्रति टैंकर राशि 5. ट्रेक्टर वाहन 5000 ली. क्षमता का प्रतिदिन प्रति टैंकर राशि	2950/- 2900/- 2700/- 2650/- 1450/-

3. उपरोक्त स्वीकृत वार्षिक दरों पर निगम में पंजीकृत अन्य निविदादाता ठेकेदारों से नियमानुसार अमानत राशि जमा कराकर जलवितरण हेतु प्रायवेट टैंकर/ट्रेक्टर वाहन किराये पर लिये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

4. कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जावे। प्रकरण पुष्टि हेतु निगम परिषद के समक्ष रखा जावे। आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 31.3.12

क्रमांक 1956

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 480 दिनांक 22-03-2012

132/33 के.वी. के दो विद्युत उपकेन्द्र तथा 33/6.6 के.वी. के एक विद्युत उपकेन्द्र एवं विद्युत लाईन के संचालन संधारण हेतु नगर निगम मद से कराया जाना एवं निविदा आमंत्रण करने हेतु महापौर परिषद से स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 625 दिनांक 16-02-12 पर समिति जलकार्य विभाग की राय क्र. 81 दिनांक 28-02-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र व संक्षेपिका में दर्शाई गई स्थिति के प्रकाश में 132/33 के.वी. के दो विद्युत उपकेन्द्र तथा 33/6.6 के.वी. के एक विद्युत उपकेन्द्र एवं विद्युत लाईन के संचालन संधारण हेतु अनुमान पत्रक राशि रु. 31.80 लाख एवं साधारण संचालन संधारण कार्य हेतु रुपये 2.40 लाख कुल राशि रुपये 34.20 लाख की निविदा आमंत्रण करने एवं उक्त कार्य नगर निगम मद से कराए जाने की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक.

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिटर
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 481 दिनांक 22-03-2012

झोन क्र. 13 वार्ड क्र. 57 के अन्तर्गत बसंतपुरी कालोनी में जनसहयोग से सीमेन्ट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 139/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 05-03-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 30,98,323/- की निविदा आमंत्रण करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। जनसहयोग से प्राप्त होने वाली 10072 बैग सीमेन्ट प्राप्त की जावें।

3. निविदा जारी करने के पूर्व उपरोक्त कार्य का अनुमोदन महापौर/प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण विभाग से प्राप्त किया जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक.

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं-1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 482 दिनांक 22-03-2012

झोन क्र. 12 वार्ड क्र. 12 के अन्तर्गत सियागंज में पटेल ब्रिज के पास आई.डी.ए बिल्डिंग से सुलभ काम्पलेक्स एवं सुलभ काम्पलेक्स के सामने की गली में जनसहयोग से सीमेन्ट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 138/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 05-03-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु बगैर सीमेन्ट के अनुमान पत्रक राशि रूपये 6,57,820/- की निविदा आमंत्रण करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। जनसहयोग से प्राप्त होने वाली 2800 बैग सीमेन्ट की राशि रु. 7,70,000/- प्राप्त की जावें।

3. निविदा जारी करने के पूर्व उपरोक्त कार्य का अनुमोदन महापौर/प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण विभाग से प्राप्त किया जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक.

क्रमांक
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं-1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 483 दिनांक 22-03-2012

झोन क्र. 13 वार्ड क्र. 58 के अन्तर्गत विज्ञान नगर में म.नं. 229 से 251 एवं 303 से 293 तक जनसहयोग से सीमेन्ट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 159/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 05-03-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 8,66,084/- की निविदा आमंत्रण करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। जनसहयोग से प्राप्त होने वाली 914 बैग सीमेन्ट की राशि रु. 2,10,220/- प्राप्त की जावें।

3. निविदा जारी करने के पूर्व उपरोक्त कार्य का अनुमोदन महापौर/प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण विभाग से प्राप्त किया जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक.

क्रमांक
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं-1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 484 दिनांक 22-03-2012

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत कार्यरत पी.आई.यू अधिकारी की अवधि वृद्धि करने के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 1898/जेएनएनयूआरएम/12 दिनांक 13-01-12 प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग की राय क्रमांक 27 दिनांक 23-02-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में केन्द्र शासन द्वारा जेएनएनयूआरएम परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग कार्यों हेतु प्रदत्त गार्ड लाईन अनुसार पी.आई.यू. के अधिकारियों की नियुक्ति परियोजना अवधि तक किया जाना प्रावधानित होने से तथा परियोजना का कार्य शेष होने से मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 391 दिनांक 11-01-2011 के तारतम्य श्री प्रवीण कुमार गुप्ता, प्रोक्यूरमेंट अधिकारी की दिनांक 13-11-11 से दिनांक 31-03-2012 तक एवं संकल्प क्र. 204 दिनांक 13-08-2010 के तारतम्य में श्री चन्द्रशेखर तंवर, पी.आई.यू. अधिकारी की दिनांक 14-08-2011 से दिनांक 31-03-2012 तक जेएनएनयूआरएम योजना में तकनीकी सहायक एवं पी.आई.यू. अधिकारी की आवश्यकता व योग्यता व कार्यानुभव को दृष्टिगत रखते हुये पूर्व अनुबंध शर्तों के अन्तर्गत संविदा नियुक्ति पर अवधि वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक.

क्रमांक
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 485 दिनांक 22-03-2012

प्राणी संग्रहालय में बेलदार बोने (छोटे व्यक्तियों) को मस्टर कर्मी के रूप में कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर नियुक्ति देने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 650/दिनांक 05-10-2011 पर प्रभारी, विधि एवं सामान्य प्रशासन विभाग राय पृ.क्रमांक 2556, दिनांक 15-03-12 पर विचार किया गया।

2. आयुक्त के पत्र संलग्न संक्षेपिका में उल्लेखित स्थिति अनुसार प्राणी संग्रहालय के भौगोलिक क्षेत्र में वृद्धि हुई है, वर्तमान में 1 मात्र बोना व्यक्ति कार्यरत है, जो की पर्याप्त नहीं। 3 बोने व्यक्तियों प्रार्थी श्री नानूराम दशरथ खोडे, श्री जावेद पिता स्व. चांद मोहम्मद एवं श्री मोहन भैयालाल साहू द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर बेरोजगार होकर बोने होने से विकलांगता की श्रेणी में आने के कारण प्राणी संग्रहालय में कार्य हेतु निवेदन किया जाने से इनकी मस्टरकर्मी के रूप में कलेक्टर द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नियुक्ति की अनुमति चाही गई है।

3. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में प्राणी संग्रहालय में बच्चो व दर्शको को आकर्षित करने की दृष्टि से बोने व्यक्ति श्री जावेद पिता स्व. चांद मोहम्मद, श्री मोहन पिता भैयालाल साहू एवं नानूराम पिता दशरथ खेडे को नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस की अवधि पर कार्य आवश्यकता एवं औचित्यता के आधार पर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 अप्रैल 2012 से दिनांक 31 जुलाई 2012 तक कार्य करने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णामुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक.

क्रमांक
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 486 दिनांक 22-03-2012

झोन क्र. 10 वार्ड क्र. 48 के अन्तर्गत संचार नगर एक्स में म.न. 67 से म.न. 57 एवं म. न. 77 से म.न. 63 तक जन सहयोग से सीमेन्ट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 120/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 31-01-12 प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण समिति की राय क्र. 16 दिनांक 21-02-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 12,34,821/- की निविदा आमंत्रण करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। जनसहयोग से प्राप्त होने वाली 20 प्रतिशत राशि रु. 2,46,964/- प्राप्त की जावें।

3. निविदा जारी करने के पूर्व उपरोक्त कार्य का अनुमोदन महापौर/प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण विभाग से प्राप्त किया जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक.

क्रमांक
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं-1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 487 दिनांक 22-03-2012

झोन क्र. 10 वार्ड क्र. 48 के अन्तर्गत नुपुरश्री एवं विमलश्री रेसीडेन्सी कॉलोनी में जन सहयोग से सीमेन्ट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 122/सी.ई/बिल्स)/11-12 दिनांक 31-01-12 प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण समिति की राय क्र. 20 दिनांक 21-02-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 12,04,157/- की निविदा आमंत्रण करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। जनसहयोग से प्राप्त होने वाली 35 प्रतिशत राशि रु. 4,21,455/- प्राप्त की जावें।

3. निविदा जारी करने के पूर्व उपरोक्त कार्य का अनुमोदन महापौर/प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण विभाग से प्राप्त किया जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर इन कौंसिल

नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं-1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

दिनांक.

सचिव

नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 488 दिनांक 22-03-2012

म.प्र. पथ पर विक्रय करने वालों की जीविका का संरक्षण और पथ पर विक्रय का विनियमन अधिनियम 2011 के अनुरूप निगम स्तर की कार्यवाही के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 2388/मार्केट दिनांक 21-03-12 पर विचार किया गया।

2. आयुक्त के पत्र एवं संक्षेपिका में दर्शाई गई स्थिति के प्रकाश में म.प्र. पथ पर विक्रय करने वालों की जीविका का संरक्षण और पथ पर विक्रय का विनियमन अधिनियम 2011 की योजना के अन्तर्गत समस्त गतिविधियों के क्रियान्वयन पर्यवेक्षण समिक्षा आदि के हेतु इन्दौर नगर के लिये नगर विक्रय समिति का निम्नानुसार गठन करने की स्वीकृति दी जाती है:-

1. आयुक्त	अध्यक्ष
2. योजना प्राधिकारी (ग्राम एवं नगर निवेश के प्रतिनिधि) विकास प्राधिकरण	सदस्य
3. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) क्षेत्रीय	सदस्य
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	सदस्य
5. यातायात पुलिस निरीक्षक/प्रतिनिधि प्रदीपसिंह चौहान	सदस्य
6. व्यापारी संघ के प्रतिनिधि	सदस्य
7. लीड बैंक के मैनेजर	सदस्य
8. पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधि (कुल सदस्य संख्या का 40 प्रतिशत जिनमें कम से कम 1 तिहाई महिला)	

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक.

क्रमांक
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिटर
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 489 दिनांक 22-03-2012

झोन क्र. 11 वार्ड क्र. 50 के अन्तर्गत शाहिन नगर में मंदिर से नाले तक जनसहयोग से सीमेन्ट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 146/सी.ई /बिल्स/11-12 दिनांक 05-03-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 9,19,000/- की निविदा आमंत्रण करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। जनसहयोग से प्राप्त होने वाली 35 प्रतिशत राशि रु. 3,21,650/- प्राप्त की जावें।

3. निविदा जारी करने के पूर्व उपरोक्त कार्य का अनुमोदन महापौर/प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण विभाग से प्राप्त किया जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक.

क्रमांक
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं-1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 490 दिनांक 22-03-2012

झोन क्र. 01 वार्ड क्र. 04 के अन्तर्गत आराधना नगर गली नं. 05 में जनसहयोग से सीमेन्ट कांक्रिट करने एवं स्ट्राम वाटर लाईन डालने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 114/सी.ई /बिल्स/11-12 दिनांक 31-01-12 प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण समिति की राय क्र. 23 दिनांक 22-02-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 17,44,357/- की निविदा आमंत्रण करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। जनसहयोग से प्राप्त होने वाली 20 प्रतिशत राशि रु. 3,48,817/- प्राप्त की जावें।

3. निविदा जारी करने के पूर्व उपरोक्त कार्य का अनुमोदन महापौर/प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण विभाग से प्राप्त किया जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक.

क्रमांक
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं-1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 491 दिनांक 22-03-2012

शहर में रोजगार की तलाश में आने वाले गरीबों के निर्दिष्ट स्थानों पर रैन बसेरा का निर्माण के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 1058/सी.ई./योजना दिनांक 28-02-2012 पर प्रभारी, आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग की राय क्रमांक 40 दिनांक 13-03-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में निम्नानुसार स्वीकृति दी जाती है:-

1- रैन बसेरा निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति।

2- पैकेज 2 निर्माण हेतु निविदादाता श्री नीरजसिंग कुशवाह से नेगोसिएशन दर द्वारा प्रस्तुत प्राप्त दर 6.75 (नक्व एस.ओ.आर. दिनांक 01.06.11) अधिक पर कार्य कराने की स्वीकृति।

3- प्रत्येक रैन बसेरा निर्माण पर निविदा में नेगोसिएशन उपरान्त प्राप्त अधिक प्रतिशत अनुसार कुल राशि रुपये 35,36,983/- के व्यय एवं पैकेज 02 निर्माण कार्य हेतु राशि रु. 1,76,84,915/- की वित्तीय स्वीकृति।

4- उक्तानुसार पैकेज 2 में 5 रैन बसेरा निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 1,76,84,915/- की वित्तीय स्वीकृति।

5- रैन बसेरा निर्माण हेतु व्यय बजट मद सामाजिक न्याय विभाग, म.प्र. शासन द्वारा नगरीय प्रशासन संचालनालय द्वारा एक रैन बसेरा निर्माण हेतु प्रथम चरणीय अनुमान पत्रक राशि रुपये 33.50 लाख के मान से राशि प्राप्त की जावे। शेष राशि निगम के बजट मद रैन बसेरा निर्माण में से व्यय करने की स्वीकृति।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्तापूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर इन कौंसिल

नगर पालिक निगम, इन्दौर

दिनांक.

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं-1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव

नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 492 दिनांक 22-03-2012

झोन क्र. 13 वार्ड क्र. 52 के अन्तर्गत प्रकाश नगर की सम्पूर्ण बेक लाईनो मे जनसहयोग से इन्टरलाकिंग टाईल्स लगाने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 126/सी.ई/बिल्स/11-12 दिनांक 06-02-12 प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण समिति की राय क्र. 21 दिनांक 21-02-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 22,37,785/- की निविदा आमंत्रण करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। जनसहयोग से प्राप्त होने वाली 35 प्रतिशत राशि रु. 7,83,225/- प्राप्त की जावें।

3. निविदा जारी करने के पूर्व उपरोक्त कार्य का अनुमोदन महापौर/प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण विभाग से प्राप्त किया जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक.

क्रमांक
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं-1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 493 दिनांक 22-03-2012

झोन क्र. 08 वार्ड क्र. 42 के अन्तर्गत ताज नगर बी सेक्टर की गलियों का जनसहयोग से सीमेन्ट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 115/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 31-01-12 प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण समिति की राय क्र. 12 दिनांक 21-02-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 16,19,400/- की निविदा आमंत्रण करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। जनसहयोग से प्राप्त होने वाली 15 प्रतिशत राशि रु. 2,42,910/- प्राप्त की जावें।

3. निविदा जारी करने के पूर्व उपरोक्त कार्य का अनुमोदन महापौर/प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण विभाग से प्राप्त किया जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक.

क्रमांक
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं-1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 494 दिनांक 22-03-2012

झोन क्र. 13 वार्ड क्र. 58 के अन्तर्गत विज्ञान नगर में म.नं. 155 से 125 एवं 180 से 199 तक जनसहयोग से सीमेन्ट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 143/सी.ई./ बिल्स/11-12 दिनांक 05-03-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 9,95,240/- की निविदा आमंत्रण करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। जनसहयोग से प्राप्त होने वाली 1036 बैग सीमेन्ट की राशि रु. 2,38,280/- प्राप्त की जावें।

3. निविदा जारी करने के पूर्व उपरोक्त कार्य का अनुमोदन महापौर/प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण विभाग से प्राप्त किया जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक.

क्रमांक
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं-1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 495 दिनांक 22-03-2012

झोन क्र. 10 वार्ड क्र. 48 के अन्तर्गत रेवेन्यु नगर में बगीचे के आसपास जनसहयोग से सीमेन्ट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 144/सी.ई./ बिल्स/11-12 दिनांक 05-03-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 10,64,765/- की निविदा आमंत्रण करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। जनसहयोग से प्राप्त होने वाली 20 प्रतिशत राशि रु. 2,13,000/- प्राप्त की जावे।

3. निविदा जारी करने के पूर्व उपरोक्त कार्य का अनुमोदन महापौर/प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण विभाग से प्राप्त किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक.

क्रमांक
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं-1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 496 दिनांक 22-03-2012

झोन क्र. 10 वार्ड क्र. 43 के अन्तर्गत गोयल विहार गेट से संजीवनी नगर मुकेश आटा चक्की तक जनसहयोग से सीमेन्ट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 127/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 06-02-12 पर समिति आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग की राय क्र. 24 दिनांक 22-02-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रुपये 8,67,000/- की निविदा आमंत्रण करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। जनसहयोग से प्राप्त होने वाली 2543 बैग सीमेन्ट की राशि रु. 6,68,800/- प्राप्त की जावें।

3. निविदा जारी करने के पूर्व उपरोक्त कार्य का अनुमोदन महापौर/प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण विभाग से प्राप्त किया जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक.

क्रमांक
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं-1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 497 दिनांक 22-03-2012

झोन क्र. 13 वार्ड क्र. 56 के अन्तर्गत मंगल नगर में जनसहयोग से नई ड्रेनेज लाईन डालने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 2583 दिनांक 16-01-12 एवं प्रभारी जलकार्य विभाग की राय क्र. 68 दिनांक 17-01-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 13,14,470/- की निविदा आमंत्रण करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। जनसहयोग स्वरूप राशि रु. 4,69,420/- के 300 एम.एम. डायल के 980 रनिंग मीटर पाईप प्राप्त की जावें।

3. निविदा जारी करने के पूर्व उपरोक्त कार्य का अनुमोदन महापौर/जलकार्य विभाग से प्राप्त किया जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक.

क्रमांक
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं-1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

बजट संकल्प क्रमांक.499

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 500 दिनांक 22-03-2012

नगर के यातायात सुधार कार्य हेतु पुलिस यातायात इन्दौर को सहायता अनुदान देने के संबंध में महापौरजी द्वारा की गई घोषणा पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त नगर के यातायात सुधार हेतु संसाधन व अन्य कार्यों हेतु महापौरजी द्वारा रुपये 25 लाख अनुदान देने की घोषणा की गई उक्त क्रम में पुलिस यातायात इन्दौर को रुपये 10 लाख अक्षरी दस लाख मात्र (प्रथम किश्त) अनुदान बजट मद क्रमांक 2208010 "आर्थिक सहायता/अनुदान पर व्यय" में से देने की स्वीकृति निगम परिषद की प्रत्याशा में म. प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत बने म.प्र. नगर पालिक निगम (मेयर-इन-कौंसिल/प्रेसिडेन्ट इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम 1998 के नियम 5 (चार) अनुसार निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे ।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक.

क्रमांक
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 501 दिनांक 22-03-2012

धानक समाज के संत श्री सुफल सुदर्शन महाराज की जयंती के अवसर पर 27 मार्च 2012 मंगलवार को आयोजित चल समारोह में निगम की ओर से अनुदान देने के संबंध में अखिल भारतीय धानक (धानुक) समाज दिल्ली के पत्र क्र. 2/2012 दिनांक 17.03.12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरांत संत श्री सुफल सुदर्शन महाराज जयंती की दिनांक 27 मार्च 2012 को आयोजित चल समारोह हेतु रुपये 11,000/- (अक्षरी रु. ग्यारह हजार मात्र) आर्थिक सहायता/अनुदान कार्योंपरांत बजट मद क्र. 2208010 आर्थिक सहायता/अनुदान पर व्यय में से देने की स्वीकृति म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बने म.प्र. नगर पालिक (मेयर-इन-कौंसिल/प्रेसीडेन्ट इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तिया एवं कर्तव्य) नियम 1998 के नियम 5 (चार) अनुसार निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है। सहायता राशि का चेक श्री बाबूलाल मोरे अध्यक्ष अखिल भारतीय धानक (धानुक) समाज इन्दौर के नाम से बनाया जावे।

प्रकरण पुष्टि हेतु निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक.

क्रमांक
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 502 दिनांक 22-03-2012

आओ बनाये अपना इन्दौर, प्रकल्प के अन्तर्गत जन एवं कार्पोरेट भागीदारिता से विकास कार्य करने के लिये एम.ओ.यू. अनुमोदन के संबंध में विचार किया गया। चर्चा की गई। मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्र. 281 दिनांक 13-10-11 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त चर्चा के प्रकाश में आओ बनाये अपना इन्दौर, प्रकल्प के अन्तर्गत जन एवं कार्पोरेट भागीदारिता से विकास कार्य करने के संबंध में मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 281 दिनांक 13-10-11 के क्रम के आयुक्त द्वारा प्रस्तुत कार्पोरेट संस्थाओं से किये जाने वाले एम.ओ.यू. के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है। आवश्यकतानुसार निगम हित में एम.ओ.यू. में संशोधन हेतु महापौर/आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक.

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिटर
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 503 दिनांक 22-03-2012

विज्ञापन होर्डिंग के संबंध में निति निर्धारण हेतु कंसलटेन्ट की नियुक्ति करने के संबंध में विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्त चर्चा के प्रकाश में राजस्व विभाग की बजट बैठक में मार्केट विभाग की समीक्षा के दौरान निगम राजस्व वृद्धि एवं शहर सौंदर्यीकरण की दृष्टि से विज्ञापन होर्डिंग लगाने हेतु स्थानों का चिन्हांकन एकरूपता के लिये सर्वे एवं विज्ञापन रेटझोन निर्धारण व विज्ञापन नीति के लिये कंसलटेन्ट की नियुक्ति हेतु निविदा जारी करने की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक.

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 504 दिनांक 25-02-2012

इन्दौर विकास प्राधिकरण इन्दौर की योजना क्रमांक 155 हेतु नर्मदा पाईप लाईन से कनेक्शन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 729 दिनांक 10-02-2012 पर विचार किया गया ।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति के प्रकाश में इन्दौर विकास प्राधिकरण इन्दौर की योजना क्रमांक 155 हेतु नर्मदा पाईप लाईन बिछाने का कार्य डिपॉजिट मद में करने की एवं 200 एम.एम. व्यास का जल संयोजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्य में होने वाला व्यय इन्दौर विकास प्राधिकरण इन्दौर से डिपॉजिट मद में राशि रुपये 32,56,000/- प्राप्त करे एवं जलकर राशि रुपये 37/- प्रति हजार लीटर के मान से ली जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक.

क्रमांक
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 505 दिनांक 22-03-2012

रीजनल पार्क की सुरक्षा हेतु 12 होमगार्ड एवं अन्य कार्यरत सुरक्षा श्रमिकों का पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में आयुक्त पत्र क्रमांक 165 दिनांक 28-11-2011 पर विधि एवं सामान्य प्रशासन समिति की राय दिनांक 17-01-12 पर विचार किया गया,

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में क्षेत्रीय उद्यान (रिजनल पार्क) में सुरक्षा कार्य हेतु वर्तमान में कार्यरत 35 सुरक्षा कर्मी (12 सुरक्षा होम गार्ड के अतिरिक्त) को 29-29 दिवस पर नियमानुसार ब्रेक देते हुए जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 31 अगस्त 2012 तक अवधि अथवा निविदा स्वीकृति होने तक (जो भी पूर्व हो) कार्य लिये जाने एवं पारिश्रमिक भुगतान की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. 12 अतिरिक्त सुरक्षा होम गार्ड सैनिकों के कार्य एवं पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

4. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 2.5.2012

क्रमांक 109-12

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 506 दिनांक 22-03-2012

पुत्र के शिक्षण हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान देने के संबंध में श्री सुनील श्यामलाल सफाई कर्मचारी वार्ड क्र. 3 झोन क्र. 1 किला मैदान इन्दौर के आवेदन पत्र पर महापौर महोदय की अनुशंसा पर विचार किया गया।

2. विचारोपरांत आवेदक को रुपये 10,000/- (अक्षरी रु. दस हजार मात्र) की आर्थिक सहायता/अनुदान बजट मद क्र. 2208010 आर्थिक सहायता/अनुदान पर व्यय में से देने की स्वीकृति म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बने म.प्र. नगर पालिक (मेयर-इन-कौंसिल/प्रेसीडेन्ट इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तिया एवं कर्तव्य) नियम 1998 के नियम 5 (चार) अनुसार निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णामुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 2.05.2012

क्रमांक 137-38

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
 2. रेसीडेन्ट आडिटर
 3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
 4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
- की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 507 दिनांक 22-03-2012

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित इंदौर सीवरेज परियोजना के अंतर्गत पूर्वी क्षेत्र में कार्यरत के अंतर्गत एजेन्सी मेसर्स नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी को अनुबंध शर्तों के अनुसार कार्य की समयावृद्धि प्रदान करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 2308 ए. दिनांक 21-03-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरांत आयुक्त के पत्र में दर्शायी स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित इंदौर सीवरेज परियोजना के अंतर्गत पूर्वी क्षेत्र में कार्यरत के अंतर्गत एजेन्सी मेसर्स नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी को अनुबंध शर्तों के अनुसार कार्य की दिनांक 31 मई 2012 तक अवधि वृद्धि करने की स्वीकृति दी जाती है, प्रकरण में अनुबंध की शर्तों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 2.5.12

क्रमांक 73-76

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त।
2. रेसीडेन्ट आडिटर।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 508 दिनांक 22-03-2012

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित इंदौर सीवरेज परियोजना के अंतर्गत पश्चिम क्षेत्र में कार्यरत निर्माण एजेन्सी मेसर्स सिम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लि,कोलकता को अनुबंध शर्तों के अनुसार कार्य की समयावृद्धि प्रदान करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 2308 दिनांक 21-03-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरांत आयुक्त के पत्र में दर्शायी स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित इंदौर सीवरेज परियोजना के अंतर्गत पश्चिम क्षेत्र में कार्यरत निर्माण एजेन्सी मेसर्स सिम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लि,कोलकता को अनुबंध शर्तों के अनुसार कार्य की दिनांक 31 मई 2012 तक अवधि वृद्धि करने की स्वीकृति दी जाती है, प्रकरण में अनुबंध की शर्तों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह.) कृष्णामुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 2.05.2012

क्रमांक 69-72

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त।
2. रेसीडेन्ट आडिटर।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 509 दिनांक 22-03-2012

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित इंदौर सीवरेज परियोजना के अंतर्गत मध्य क्षेत्र में कार्यरत के अंतर्गत एजेन्सी मेसर्स नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी को अनुबंध शर्तों के अनुसार कार्य की समयावृद्धि प्रदान करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 2308 बी. दिनांक 21-03-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरांत आयुक्त के पत्र में दर्शायी स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित इंदौर सीवरेज परियोजना के अंतर्गत मध्य क्षेत्र में कार्यरत के अंतर्गत एजेन्सी मेसर्स नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी को अनुबंध शर्तों के अनुसार कार्य की दिनांक 31 मई 2012 तक अवधि वृद्धि करने की स्वीकृति दी जाती है, प्रकरण में अनुबंध की शर्तों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 2.5.2012

क्रमांक 89-92

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त।
2. रेसीडेन्ट आडिटर।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 510 दिनांक 22-03-2012

झोन क्र. 10 वार्ड क्र. 48 के अन्तर्गत बिजली नगर में म.न. 30 से म.न. 129 तक जन सहयोग से सीमेन्ट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 112/सी. ई/बिल्स/11-12 दिनांक 31-01-12 प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण समिति की राय क्र. 26 दिनांक 22-02-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 10,77,961/- की निविदा आमंत्रण करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। जनसहयोग से प्राप्त होने वाली 20 प्रतिशत राशि रु. 2,15,600/- प्राप्त की जावें।

3. निविदा जारी करने के पूर्व उपरोक्त कार्य का अनुमोदन महापौर/प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण विभाग से प्राप्त किया जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 15.05.2012

क्रमांक 219-22

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं-1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 511 दिनांक 22-03-2012

झोन क्र. 10 वार्ड क्र. 48 के अन्तर्गत गणराज नगर में मुख्य मार्ग की गलीयों में जन सहयोग से सीमेन्ट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 110/सी.ई./बिल्स/12 दिनांक 31-01-12 प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण समिति की राय क्र. 13 दिनांक 21-01-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 13,48,287/- की निविदा आमंत्रण करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। जनसहयोग से प्राप्त होने वाली 20 प्रतिशत राशि रु. 2,69,657/- प्राप्त की जावें।

3. निविदा जारी करने के पूर्व उपरोक्त कार्य का अनुमोदन महापौर/प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण विभाग से प्राप्त किया जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 15.05.2012

क्रमांक 223-26

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं-1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 512 दिनांक 22-03-2012

झोन क्र. 13 वार्ड क्र. 58 के अन्तर्गत विज्ञान नगर में म.नं. 100 से 124 एवं 267 से 277 तक जनसहयोग से सीमेन्ट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 135 सी. ई/ बिल्स/11-12 दिनांक 05-03-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 8,54,728/- की निविदा आमंत्रण करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। जनसहयोग से प्राप्त होने वाली 814 बैग सीमेन्ट की राशि रु. 2,10,220/- प्राप्त की जावें।

3. निविदा जारी करने के पूर्व उपरोक्त कार्य का अनुमोदन महापौर/प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण विभाग से प्राप्त किया जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 15.05.2012

क्रमांक 175-78

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं-1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 513 दिनांक 22-03-2012

झोन क्रमांक 07 वार्ड क्रमांक 37 स्कीम न. 114 (प्रथम) के म.नं. 09 से 16 तथा 47 से 88 तक सडक का जनसहयोग से सीमेंट कांकीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 148/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 05-03-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में अनुमान पत्रक राशि रूपये 9,92,500/- पर दिनांक 20-12-11 को प्राप्त 02 निविदाओं में न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स जी.जी. इन्टरप्राइजेस द्वारा प्रस्तुत दर 3.00 प्रतिशत अधिक (ड्रॉ-अप त्वंक - ठतपकहम वृत्ता एस.ओ.आर. दिनांक 01.06.11) की राशि रूपये 29,775/- सहित कुल आकार राशि रूपये 10,22,275/-के कार्य की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद "जनसहयोग से सडको का निर्माण (निगम अंशदान)" में से होगा। जनसहयोग के रूप में 1552 बैग सीमेन्ट लगभग राशि रु. 3,88,000/- प्राप्त की जावें।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्तापूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 15.05.2012

क्रमांक 227-30
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त स.1फा.
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 514 दिनांक 22-03-2012

झोन क्रमांक 07 वार्ड क्रमांक 37 स्कीम न. 114 (प्रथम) के म.नं. 1174 से 1193 तथा 1259 से 1259-यु तक सडक का जनसहयोग से सीमेंट कांकीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 141/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 05-03-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में अनुमान पत्रक राशि रूपये 9,85,000/- पर दिनांक 27-12-11 को प्राप्त 02 निविदाओं में न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स रामायण डेव्हलपर्स द्वारा प्रस्तुत दर 2.98 प्रतिशत अधिक (डच्|क्व त्वंक - ठतपकहम वता एस.ओ.आर. दिनांक 01.06.11) की राशि रूपये 29,353/- सहित कुल आकार राशि रूपये 10,14,353/-के कार्य की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद "जनसहयोग से सडको का निर्माण (निगम अंशदान)" में से होगा। जनसहयोग के रूप में 1536 बैग सीमेन्ट लगभग राशि रु. 3,84,000/- प्राप्त की जावें।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्तापूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 15.05.2012

क्रमांक 195-98

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त स.1फा.
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 515 दिनांक 22-03-2012

झोन क्र. 12 वार्ड क्र. 12 के अन्तर्गत सियागंज में दारु गोदाम की गली एवं पीछे की गली में जनसहयोग से सीमेन्ट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 161/सी.ई/बिल्स/या./11-12 दिनांक 05-03-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 15,38,820/- की निविदा आमंत्रण करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। जनसहयोग से प्राप्त होने वाली 2720 बैग सीमेन्ट की राशि रु. 7,48,000/- प्राप्त की जावें।

3. निविदा जारी करने के पूर्व उपरोक्त कार्य का अनुमोदन महापौर/प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण विभाग से प्राप्त किया जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 21.05.2012

क्रमांक 233-36

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं-1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 516 दिनांक 22-03-2012

झोन क्र. 10 वार्ड क्र. 48 के अन्तर्गत सर्वसुविधा नगर एक्स में म.न. 10-22, 42-53, 29-41, 26-28, तक जन सहयोग से सीमेन्ट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 123/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 31-01-12 प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण समिति की राय क्र. 17 दिनांक 21-02-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 17,50,615/- की निविदा आमंत्रण करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। जनसहयोग से प्राप्त होने वाली 35 प्रतिशत राशि रु. 6,12,715/- प्राप्त की जावें।

3. निविदा जारी करने के पूर्व उपरोक्त कार्य का अनुमोदन महापौर/प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण विभाग से प्राप्त किया जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 15.05.2012

क्रमांक 215-18

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं-1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 517 दिनांक 22-03-2012

झोन क्र. 10 वार्ड क्र. 43 के अन्तर्गत गणनायक नगर में श्रीराम मंदिर के आसपास सामने गलियों का जन सहयोग से सीमेन्ट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 121/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 31-01-12 प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण समिति की राय क्र. 25 दिनांक 22-02-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 14,38,288/- की निविदा आमंत्रण करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। जनसहयोग से प्राप्त होने वाली 15 प्रतिशत राशि रु. 2,15,743/- प्राप्त की जावें।

3. निविदा जारी करने के पूर्व उपरोक्त कार्य का अनुमोदन महापौर/प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण विभाग से प्राप्त किया जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 15.05.2012

क्रमांक 211-14

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं-1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 518 दिनांक 22-03-2012

झोन क्र. 08 वार्ड क्र. 42 के अन्तर्गत आने वाली कॉलोनी खजराना पैलेस की कच्ची गलियों का जनसहयोग से सीमेन्ट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 125/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 06-02-12 प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण समिति की राय क्र. 09 दिनांक 21-02-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 11,79,900/- की निविदा आमंत्रण करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। जनसहयोग से प्राप्त होने वाली 15 प्रतिशत राशि रु. 1,76,985/- प्राप्त की जावें।

3. निविदा जारी करने के पूर्व उपरोक्त कार्य का अनुमोदन महापौर/प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण विभाग से प्राप्त किया जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक.

क्रमांक
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं-1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 519 दिनांक 22-03-2012

झोन क्र. 10 वार्ड क्र. 43 के अन्तर्गत पुष्प नगर की मेनरोड का जन सहयोग से सीमेन्ट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 104/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 18-01-12 प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण समिति की राय क्र. 02 दिनांक 20-01-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 22,49,676/- की निविदा आमंत्रण करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। जनसहयोग से प्राप्त होने वाली 35 प्रतिशत राशि रु. 7,87,386/- प्राप्त की जावें।

3. निविदा जारी करने के पूर्व उपरोक्त कार्य का अनुमोदन महापौर/प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण विभाग से प्राप्त किया जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 15.05.2012

क्रमांक 191-94

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं-1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 520 दिनांक 22-03-2012

झोन क्र. 01 वार्ड क्र. 03 के अन्तर्गत अंबिकापुरी पानी की टंकी पंधुच मार्ग का जनसहयोग से सीमेन्ट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 153/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 05-03-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 31,78,090/- की निविदा आमंत्रण करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। जनसहयोग से प्राप्त होने वाली सीमेन्ट की राशि रु. 3,00,000/- प्राप्त की जावें।

3. निविदा जारी करने के पूर्व उपरोक्त कार्य का अनुमोदन महापौर/प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण विभाग से प्राप्त किया जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 15.05.2012

क्रमांक 183-86

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं-1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

